अध्याय–प्रथम

शोध परिचय

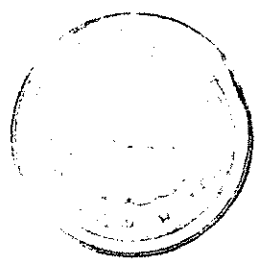

अध्याय प्रथम

शोध परिचय

1.1 प्रस्तावना

बालश्रम एक ऐतिहासिक तथ्य है, जो प्रत्येक युग में किसी रूप में अवश्य विद्यमान रहा है। समाज में यह माना जाता है कि, आज का छोटा बालक कल देश का आदर्श एवं जवाबदार नागरिक है। देश की बागडोर उसी के हाथ में आने वाली है। इसलिये छोटे बच्चों को भगवान के घर का फूल समझ के उस पर सुसंस्कृत, शिक्षा के रूप में सम्पूर्ण विकास करना चाहिए। लेकिन भारत वर्ष में केवल बातें ही अधिक होती है, वास्तविकता कुछ और है। सदियों से लेकर आज भी समाज ने बच्चों पर ऐसा व्यवहार नहीं किया जिससे हमारे सामाजिक परंपराओं का एवं देश का नाम ऊँचा हो जाए। लाखों की संख्या में आज भी 6 से 14 वर्ष आयु के बालक ऐसे है, जिनको दो वक्त की रोटी भी उनके नसीब में नहीं है। कभी समाप्त नहीं होने वाली दरिद्रता की गहराई बढ़ती जा रही है, इसके कारण आज बच्चे स्कूल में जा नहीं पा रहे है, चाहे उनकी शिक्षा लेने की आंतरिक इच्छा हो या ना हो। मजबूरन उनके अभिभावकों को परिवार में आर्थिक सहायता की दृष्टिकोण से बच्चों को काम करने के लिए भेजा जाता है, जबकि बच्चों की उम्र खेलने खाने और पढ़ने की होती है।

आज बाल श्रमिकों की समस्या को लेकर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े जोर-शोर से आवाज उठाई जा रही है और बालश्रम का विरोध किया जा रहा है, किन्तु बालश्रमिक बनने के आर्थिक एवं सामाजिक कारण क्या है इसकी ओर प्रायः कोई गंभीरता से ध्यान नहीं होता। बालश्रम की ज्यादातर समस्या विकासशील देशों में और पिछडी तथा दलित जातियों में है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, बालश्रमिक का काम अधिकांश रूप से ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों के बच्चे, भूमिहीन कुली, मजदूर वर्ग तथा गरीब और बेसहारा लोगों क बच्चे ही कर रहे है। जिनके सामने आजीविका की समस्या है। आजीविका के कारण अपने माता-पिता के साथ कार्य करके वे बालश्रमिक

बनने को मजबूर है। बाल मजदूरों में लड़कियों की संख्या भी कुछ कम नहीं है, इनको घर का सब काम करके अपने छोटे भाई बहनो की देखभाल का कार्य करना पडता हैं और अपनी माँ के साथ मजदूरी भी करती है। वही दूसरी ओर जिस घर में ये मजदूरी करती है उस घर में भी इन्हें यही सब व अन्य कार्य करने पडते हैं लगभग सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में काम करने वाली लडकियों की प्रतिशतता लड़को से अधिक है। बालश्रम यह प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण से जुड़ी एक मुख्य समस्या ही नहीं बल्कि यह बाल शोषण के विकृत रूपों में से एक है।

सन् 1981 की जनगणना के अनुसार देश में 14 वर्ष से क्रम आयु के 1.30 करोड़ बालश्रमिक थे। 1983 में राष्ट्रीय सर्वेक्षण नमूना में बताया गया कि 5 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के 1.70 करोड़ बच्चों थे, बाद में वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 5-14 वर्ष के आयु वर्ग में 112.8 लाख श्रमिक (61.8 लाख बालक और 51.0 लाख बालिकाएँ) है। इनमें से लगभग 91 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में है। 112.8 लाख बाल श्रमिक बच्चों में से 90.8 लाख बच्चे बड़े कामगार और 22 लाख मोटे-छोटे सीमांत कामगार है। साथ ही 70 लाख बच्चे ऐसे भी है जो घरेलू कामकाज करते है। यह उल्लेखनीय है कि उनमें से 62 लाख (88 प्रतिशत) बालिकाएँ है घरेलू कामकाज में खेतों में परिवार का हाथ बँटाने से लेकर या अन्य कोई खानदानी काम करने के साथ-साथ इन्हें खाना पकाने, छोटे बच्चों की देखरेख करने पानी भरने, ईधन लाने जैसे काम भी शामिल है।

भारत में आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश इन राज्य में सबसे अधिक संख्या बालश्रमिकों की पाई जाती है।

शिक्षा की राष्ट्रीय नीति (1968)

भारतीय समाज में शिक्षा को हमेशा से ही मान्य स्थान दिया जाता रहा है। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के महान नेता शिक्षा के बुनियादी योगदान से परिचित थे और राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में इसके असामान्य महत्व पर जोर देते थे। गांधीजी ने बुनि-यादी शिक्षा की योजना बनाई थी, जिसका उद्देश्य मानसिक और शारीरिक कार्यो में सामंजस्य पैदा करना था।

शिक्षा को लोगों के जीवन के साथ सीधे सम्बन्ध करने के लिए उठाया गया, यह एक महान कदम था। इसी प्रकार स्वतंत्रता से पहले अन्य अनेक नेताओं ने भी राष्ट्रीय शिक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण योग दिया था।

अतः भारत सरकार निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर देश में शिक्षा का विकास करने के लिए संकल्प करती है।

- निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा

  इस में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गयी।

- बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति (1974)

  राष्ट्र के बच्चे एक अत्यंत महत्वपूर्ण संपदा है। उनका पालन पोषण और उनकी देखभाल हमारा उत्तरदायित्व है। मानव संपदा के विकास की हमारी राष्ट्रीय योजनाओं में बच्चों के कार्यक्रम का प्रमुख स्थान होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे बड़े होकर हष्टपुष्ट नागरिक बने, वे शारीरिक रूप से स्वस्थ, मेधावी और सच्चरित्र हो, और उनमें ऐसी प्रवृत्तियाँ और कौशल हो, जिनकी समाज को आवश्यकता है। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि, विकास की अवधि में सभी बच्चों को विकास के समान अवसर दिए जाएँ क्योंकि इससे असमानता कम करने और सामाजिक न्याय स्थापित करने के हमारे बडे उद्देश्य की भी पूर्ति होगी।

- नीति और उपाय

  नीति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विशेष रूप से अग्रलिखित उपाय अपनाए गये।

1. सभी बच्चे एक व्यापक स्वास्थ कार्यक्रम के अंतर्गत लाए जाएंगे।
2. बच्चों के आहार में जो कमियाँ है उन्हें दूर करने की दृष्टि से बच्चों के लिए पौष्टिक आहार सम्बन्धी सेवाओं के कार्यक्रम चलाए जाएँगे।
3. सरकार 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने के लिए कदम उठाएगी, जिसके लिए उपलब्ध

संसाधनों को ध्यान में रखते हुए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। स्कूलों में वर्तमान अपव्यय और जारी हीनता को दूर करने के लिए विशेष कर लड़कियों और समाज के कमजोर वर्गो के बच्चों के नाम लेने के विशेष प्रयत्न किए जाएँगे। इन वर्गो के लिए स्कूल जाने से पहले की अवस्था में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा।

4. जो बच्चे औपचारिक स्कूल–शिक्षा का पूरा लाभ नहीं उठा सकते उन्हें उनकी आवश्यकतानुसार किसी और रूप में शिक्षा दी जाएगी।
5. बच्चों को उपेक्षा, अत्याचार और शोषण से बचाया जाएगा।
6. 14 वर्ष से छोटे बच्चे को किसी भी खतरनाक धंधे में नहीं लगाया जाएगा और नहीं उससे भारी काम लिया जाएगा।

इस प्रकार और भी उपाय अपनाये गये है।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन किया गया।

1. कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा
2. प्रारंभिक शिक्षा

इसमें प्रारंभिक शिक्षा के दो प्रमुख मुद्दे होंगे जो एक–दूसरे पर आधारित और एक–दूसरे से जुडे हुए होंगे–

1. पढ़ाई के लिए हर बच्चे का नामांकन होना चाहिए और 14 साल की उम्र तक उसे हर हालत में शिक्षा मिलनी चाहिए।
2. शिक्षा का स्तर पहले से कहीं अधिक सुधारा जाना चाहिए।
3. बाल केन्द्रीत शिक्षा।
4. व्यावसायिककरण

इस प्रकार राष्ट्रीय नीति में अनेक नये उपाय अपनाये गये है। और वह लागू भी कर दिए गये हैं।

- बाल श्रमिक और संविधान

भारत सरकार में वर्ष 2000 तक जोखिम वाले व्यवसायों में बालक मजदूरी एवं वर्ष 2010 तक सभी क्षेत्रों में बाल मजदूरी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है।

भारतीय संविधान में कामकाजी बालकों का प्रयास किया है।

अनुच्छेद 24 – कारखानों आदि में बालको के नियोजन का प्रतिबंध। "चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।"

यह ध्यान देना योग्य है कि इस अनुच्छेद द्वारा अधिरोपित प्रतिषेध आंत्यतिक है। किसी बालक को किसी कारखाने या खान में नियोजन को या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन के प्रतिबंध।

अनुच्छेद 39 – संविधान के निती निर्देशक सिद्धांत के अनुसार अनुच्छेद 39 में भी उल्लेख है कि राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए नीति बनाएगा कि मजदूरों पुरूषों व स्त्रियों तथा नाजुक उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य एवं सामर्थ्य का दुरूपयोग न हो और नागरिक आर्थिक जरूरत के चलते ऐसे पेशों में जाने को विवश न हो जो उनकी उम्र व सामर्थ्य के अनुकूल न हो।

अनुच्छेद 45 – बच्चों को निशुल्क व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत में 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देने का प्रावधान है।

इस सम्बन्ध में समस्त लक्ष्य सभी बच्चों को संतोष जनक गुणवत्ता वाली निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है।

- बालश्रमिक : कारण और परिणाम

बाल–श्रमिकों पर सबसे अधिक प्रभाव करने वाला घटक गरीबी है। गरीबी के ही कारण बच्चे अपने परिवार को आर्थिक सहयोग देने

के लिये काम करते है। इसके साथ ही बेरोजगारी, बच्चों का रास्ते में उपलब्ध होना, गावों से शहरों में पलायन, निरक्षरता, बड़े परिवार और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधानों का न होना।

बाल–श्रमिक का सबसे बड़ा परिणाम यह है कि, जनसंख्या व विलग भाग दरिद्रता के अंधकार में बढता जाता है। बच्चों के शारीरिक और मानसिकता पर भी गहरा प्रभाव होता है, जिससे उनको भविष्य के प्रति उत्तेजना कम होती है। बडे–बडे काम की वजह से काम के बोझ से उनका मानसिक, शारीरिक, ज्ञानात्मक विकास होने में बाधाएं होती है। बच्चों में कुंण्ठा भाव तथा न्युनगंड आने की संभावना रहती हैं। साथ में बच्चों के मन में समाज के प्रति द्वेष और डर पैदा होता हैं

हाल ही में बाल मजदूरी पर रोक की अधिसूचना मंगलवार 10 अक्टूबर 2006 से देशभर में प्रभावी हो गयी है। हाल में 13 करोड बाल मजदूरों की गणना की गयी है। इसमें जो बच्चे रेस्टोरेन्टों, होटलों, मोटलों, चाय की दुकानों, रिसोर्टों, हेल्थ क्लबों और रिक्रीएशन सेंटरों में 14 साल के उम्र के बच्चों को नौकर रखा नहीं जाएगा। समाचार–पत्र दैनिक भास्कर सोमवार 9 अक्टूबर 2006 को समाचार पत्र में हाल ही में मंत्रालय ने नई अधिसूचना जारी करके चेतावनी दी थी कि जो कोई 14 साल से कम उम्र के बच्चे को नौकर के रूप में रखता पाया जाएगा। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा दोषी जाए जाने पर जुर्माना 20 हजार रूपये लगाया जाएगा और एक साल की जेल भी हो सकती है।

जब तक बालश्रमिक के कारकों के विशेष प्रयास नहीं होंगे तब तक बाल मजदूरी का उन्मूलन नहीं हो सकता। सही मायने में संकल्पबद्ध एवं समयबद्ध कार्यक्रम से ही समस्या का छुटकारा कर बच्चों को उनका बचपन लौटाया जा सकता है।

1.2 प्रस्तुत अध्ययन की आवश्यकता

आज बाल श्रमिकों की समस्या को लेकर राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर बड़े जोर शोर से आवाज उठाई जा रही है, और बालश्रम का विरोध किया जा रहा है, किन्तु बाल श्रमिक बनने के आर्थिक एवं सामाजिक कारण क्या है इसकी और प्रायः कोई गंभीरता से ध्यान नहीं देता लोग तो यहाँ तक कहते पाये जाते है जिन कोमल हाथों में कलम और किताब होनी चाहिये उन हाथों से गैती–फावड़ा या धन चलाना कतई शोभा नहीं देता, बाल श्रमिकों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाने या कानून बना देने मात्र से समस्या हल नहीं हो सकती, हमें इसके कारणों की खोज करनी है।

बाल श्रमिको की इच्छा होती है, कि वो पढ़े और उनके माता–पिता को भी लगता है, की अपने बच्चे पढे मगर कुछ आर्थिक कारणों से वह पढ़ा नहीं सकते मगर कुछ पढ़ते है। मगर वो काम करके पढ़ते है। उन्हें श्रमिक विद्यार्थी कहा गया है। यह श्रमिक बच्चे पढ़ने के साथ श्रम भी करते है। कभी–कभी काम ज्यादा मिल गया, तो वह स्कूल में भी नहीं आते ऐसे विद्यार्थियों की शिक्षा लेने में उनकी मानसिक योग्यता देखकर और व्यवसाय के प्रति योग्यता देखकर हम उन विद्यार्थियों को मार्गदर्शन कर सकते है। बच्चों की आयु व योग्यता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया उपयोगी काम उनके सामान्य विकास में तो योगदान देता है, साथ ही जब उसे विद्यार्थियों के जीवन पर लागू किया जाता है, तो वह उनके लिए मूल्यों, बुनियादी, वैज्ञानिक अवधारणाओं, कौशलों और रचनात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा अपनी एक अस्मिता पाते है और स्वयं को उपयोगी और महत्वपूर्ण समझते है और स्वयं को उपयोगी और महत्व पूर्ण समझते है क्योंकि काम उनको अर्थवान बनाता है और इसके माध्यम से वे समाज का हिस्सा बनते है और ज्ञान के निर्माण में समक्ष हो पाते है।

श्रमिक विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता देखकर उनको योग्य प्रशिक्षण दिया जाये तो श्रमिक विद्यार्थी अपना कार्य भी करेगा और पढाई भी करेगा।

श्रमिक बालिकाये भी घर का और बाहर का कांम करके पढ़ने आती है उनको भी व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जा सकता है, बालकों के लिए अनेक प्रशिक्षण दिये जाते है। बालिकाओं को काम, सिलाई, कढाई बुनायी इस प्रकार के अनेक प्रशिक्षण देकर उनमें हम आत्मविश्वास दिला सकते है। सामान्य विद्यार्थियों में भी व्यवसाय के प्रति रूचि दिखाई देती है। इस शोध से हम यह देख सकते है। कि कितने श्रमिक और सामान्य विद्यार्थी व्यवसाय में रूचि रखते है।

जिन विद्यार्थियों में व्यवसाय की योग्यता पायी जाएगी, उन विद्यार्थियों के माता–पिता और शिक्षक से मिलकर हम उनके परिस्थितिनुसार हम उन्हें शैक्षणिक व्यावसायिक प्रावधानों का प्रस्ताव कर सकते है। ताकि भविष्य में यह बच्चे अपने भविष्य के रोजगार या आजीविका की तैयारी अच्छी ढंग से कर सके।

1.3 समस्या का कथन

श्रमिक विद्यार्थियों एवं सामान्य विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता एवं व्यावसायिक रूचि का तुलनात्मक अध्ययन।

1.4 शोध कार्य के उद्देश्य

1. श्रमिक विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता का अध्ययन करना।
2. सामान्य विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता का अध्ययन करना।
3. श्रमिक विद्यार्थियों की व्यावसायिक रूचि का अध्ययन करना।
4. सामान्य विद्यार्थियों की व्यावसायिक रूचि की अध्ययन करना।
5. श्रमिक विद्यार्थी एवं सामान्य विद्यार्थियों क मानसिक योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
6. सामान्य विद्यार्थी एवं श्रमिक विद्यार्थियों की व्यवसायिक रूचि का तुलनात्मक अध्ययन करना।
7. विद्यार्थियों को अनेक परिस्थितिनुसार शैक्षणिक व्यावसायिक प्रावधानों का प्रस्ताव करना।

1.5 परिकल्पना

1. श्रमिक बालक एवं सामान्य बालकों की मानसिक योग्यता में सार्थक अन्तर नहीं होता है।
2. श्रमिक बालिकाये एवं सामान्य बालिकाओं की मानसिक योग्यता से सार्थक अन्तर नहीं होता है।
3. श्रमिक बालक एवं सामान्य बालकों में व्यावसायिक रूचि में सार्थक अन्तर नहीं होता है।
4. सामान्य बालिकायें और श्रमिक बालिकाओं में व्यावसायिक रूचि में सार्थक अन्तर नहीं होता है।

1.6 तकनीकी शब्दों की परिभाषा

शिक्षा के क्षेत्र में शोध संपादन करने में विशिष्ट तकनीकी शब्दों एवं शोध यंत्रों का प्रयोग किया जाता है जो सामान्यतः अधिकांश पाठक आसानी से समझ नहीं पाते है, अतः शोध कार्य का लाभ सामान्य पाठकों तक पहुँचाने के लिए एवं आसानी से समझने के लिए आवश्यक है कि कठिन शब्दों का स्पष्टीकरण किया जाए। प्रस्तुत लघु शोध में प्रयुक्त किए गए कुछ मुख्य शब्दों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है।

श्रमिक बालक

6–14 वर्ष की आयु के बच्चे जो स्कूल में जाते है, लेकिन बाकी अपने माता–पिता के साथ काम करने जाते है या अन्य प्रकार के काम करना तथा बालिकाएँ अपने छोटे भाई को संभालना घर के काम करना अथवा इस आयु के अन्तराल के बालिको की शादी होकर घर गृहस्थी संभालना, इन सभी कार्यो से जुडे हुये बालकों को बालश्रमिक कहा जा सकता है।

व्यावसायिक रूचि

व्यवसाय या जीविका का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। व्यवसाय मानव को जीवन यापन का साधन ही प्रदान नहीं करता, अपितु उचित व्यवसाय में स्थान मिलने पर मानव को आत्म सन्तुष्टि प्राप्त होती है तथा उसमें आत्मबल का संचार होता है। मानव जीवन में सामाजिक,

मनोविज्ञान तथा आत्म निर्भरता की दृष्टि से व्यवसायिक रूचि उसकी स्वयं की या किसी अन्य स्त्रोत के माध्यम से व्यक्त किया गया सकारात्मक दृष्टिकोण है।

मानसिक योग्यता

"उन कार्यो को करने की शक्ति जिनमें कठिनाई, जटिलता, उद्देश्य प्राप्ति की क्षमता, सामाजिक मूल्य एवं मौलिकता की अपेक्षा की है तथा विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसे कार्य करने की क्षमताओं जिनमें शक्ति केन्द्रीयकरण की एवं संवेगात्मक शक्तियों पर नियन्त्रण रखने की आवश्यकता है, मानसिक योग्यता है।"

मानसिक योग्यता एक ऐसी योग्यता है, जो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अथवा किसी मानसिक प्रश्न को हल करने के लिए हमारे मन में प्रत्यक्ष वस्तुओं एवं विचारों में संगत गुणों तथा सम्बन्धों का प्रत्यक्षीकरण कर सके एवं अन्य संगत विचारों की खोज कर सकें।

1.7 अध्ययन का सीमांकन

1. प्रस्तुत अध्ययनक महाराष्ट्र में स्थित अमरावती जिन्हें के अमरावती शहर तक सीमित था।
2. महाराष्ट्र में स्थित अमरावती शहर के 3 स्कूल वह स्कूल जहां श्रमिक विद्यार्थी और सामान्य विद्यार्थी एक साथ पढ़ते थे।
3. अध्ययन हेतु बालक-बालिकाओं को चुना गया।
4. सातवी कक्षा को ही अध्ययन के लिए चुना गया।
5. केवल सामान्य बालक 30 और बालिकायें 30 श्रमिक बालक 30 और बालिकाये 30 ही अध्ययन में लिये गयी।
6. इस प्रकार श्रमिक विद्यार्थी-60 और सामान्य विद्यार्थी 60 ऐसे 120 संख्या ली गई।
7. श्रमिक विद्यार्थी और सामान्य विद्यार्थियों को मानसिक योग्यता और व्यवसायिक रूचि का परीक्षण देकर उनकी बुद्धि और व्यावसायिक योग्यता का मापन किया गया।